GSTIN: 06AAACH4114R2ZG

हरियाणा राज्य औद्योगिक
एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड
पंचायत भवन, खानक

Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Ltd.
Panchayat Bhawan, KHANAK

(A State Government Undertaking)

NO/HSIIDC/ Mine/Khanak/2021/ 187
Dated: - 25/09/2021

To

Principal Conservator of forests,
Forest Department Haryana,
Sector-6, Panchkula.

Sub.: Diversion/Utilization of 0.136 Hac.Forest land for access to Mining project on land area measuring 258.30 hac. situated at Hisar-Tosham Road Ch.34.167, Village Khanak Tehsil Tosham, Distt, Bhiwani, Haryana.

Respected Sir,

Please refer to this office letter No. 172 dated 15.9.2021 on the subject cited as above.

As aware that HSIIDC is undertaking mining activities at HSIIDC Khanak stone Mines.LOI was granted by Department of mines & geology, Haryana vide letter no Memo no DMG/HY/ML/Khanak/HSIIDC/174 dated 03.01.2014 for a period of 20 years in favor of HSIIDC. (copy enclosed). It is submitted that your office granted permission for mining of total area 258.30 ha at village Khanak, Tehsil Tosham, District Bhiwani. it is stated that with reference to NOC issued vide your letter no 1684 dated 25.08.2014, letter no 840 dated 30.06.2014 and letter no 2369 dated 01.12.2014 (copy enclosed). The corporation applied online application no FP/HR/Approach/146575/2021 dated 30.08.2021 for approach access permission for stone mining over an area 258.30 ha situated over khasra no 274 min & 275 min in village khanak with forest department Haryana and as per terms & condition in NOC from forest department, Haryana, the user agency shall submit the proposal for approach access category under Indian Forest Conservation Act 1980.

It is again requested that right of way/approach access to HSIIDC Khanak mines from Tosham-Hisar road under Indian forest conservation act1980, may be accorded on the land belonging to Forest Department.

Thanking you

Yours faithfully,
For Hr. State Ind. & Infra. Dev. Corp. Ltd.

Ravinder

Manager (Engg.Div.)
HSIIDC,Mines site,Khanak

HSIIDC- your partner in progress

FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA
O/o Divisional Forest Officer, Bhiwani

Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

क्रमांक / 1684

सेवा में:- हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास, निगम लि० रोहतक।

दिनांक / 25-8-14

विषय: NOC from Forest Departmet w.r.t. proposed Minor Mineral project over an area of 258.30 hectares (Khasra No. 274 min 275 min) in Village Khanak Tehsil Tosham] District Bhiwani in favour of HSIIDC.

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 407 दिनांक 20.5.2014 तथा पत्र क्रमांक 840 दिनांक 30.6.2014 तथा आपका पत्र क्रमांक HSIIDC:Mines:62 Dt. 23.8.2014 के संदर्भ में।

--000--

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 407 दिनांक 20.5.2014 द्वारा गांव खानक स्थित पहाड के खसरा न0 275/1 व 275/2 मीन कुल 338 है0 ऐरिया से 84 है0 अरावली पौधारोपण क्षेत्र को छोडकर 254 है0 एरिया में खनन गतिविधियां चलाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था। इसके पश्चात आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 16.6.2014 द्वारा खसरा नं0 274 मीन में 3.90 है0 में खनन गतिविधि चलाने की अनुमति मागी गई थी। जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्र कमांक 840 दिनांक 30.6.2014 द्वारा आपको भेज दिया गया था। अब आप द्वारा पुनः दिये गये आवेदन पर आगामी आवश्यक कार्यवाही करते हुये खसरा नं0 274 मीन में शेष बचे 0.40 है0 अर्थात कुल 258.30 है0 क्षेत्र में खनन गतिविधि चलाने की अनुमति निम्न शर्तो के आधार पर दी जाती है:-

1. मौका पर भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 की पालना सुनिश्चित करनी होगी तथा अरावली पौधारोपण क्षेत्र/वन भूमि को गैर वन वानिकी उद्देश्य हेतु प्रयोग करने से पूर्व नियमानुसार वन विभाग से अनुमति लेनी होगी।
2. खनन ऐरिया सैक्शन-4 (सामान्य) के तहत आता है। इसलिये मौका पर पंजाब भू-संरक्षण अधिनियम 1900 तथा भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927 की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
3. मौका पर खनन क्षेत्र के साथ लगते हुये अरावली पौधारोपण को कोई हानि नही पहुंचाई जाएगी।
4. यूजर एजेंसी द्वारा मौका पर खनन क्षेत्र में लगवाये गये पिल्लरों पर जी0पी0एस0 कोर्डिनेट अंकित करवाये जायेंगे।
5. भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की सभी शर्तो की पालना की जाएगी।

इसके अतिरिक्त मौका पर उपरोक्त शर्तो के अलावा पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की कोई भी गतिविधि/उल्लंघना पाई गई तो वन विभाग द्वारा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता।

वन मण्डल अधिकारी,
भिवानी।

Gen.Letter

FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA
O/o Divisional Forest Officer, Bhiwani

Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

क्रमांक / ....840........ दिनांक / ....30/5/14........

सेवा मे:— हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं,
आधारभूत संरचना विकास,
निगम लि० रोहतक।

विषय: **NOC from Forest Department w.r.t. proposed Minor Mineral project over an area of 258.30 hectares (Khasra No. 274 min 275 min) in Village Khanak] Tehsil Tosham] District Bhiwani in favour of HSIIDC.**

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक HSIIDC:Mines:47 Dt. 16.6.2014 के संदर्भ में।

—000—

संदर्भांकित पत्र के विषय में खसरा नं0 274 मीन में खनन हेतु उपलब्ध 3.90 है0 क्षेत्र बारे आपको अवगत करवाया जाता है कि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तथा अरावली पौधारोपण से सम्बन्धित पूर्व में की गई संयुक्त रिर्पोटों में उल्लेखों तथा मौका अनुसार गांव खानक स्थित गैर मुमकीन पहाड़ खसरा नं0 274 मीन के कुल क्षेत्र में 6 हेक्टेयर अरावली पौधारोपण क्षेत्र है। जो कि खनन हेतु उपलब्ध 3.90 हेक्टेयर ऐरिया के साथ लगता हुआ है। अत: गांव खानक के गैर मुमकीन पहाड़ खसरा नं0 274 मीन में 3.90 हैक्टेयर में खनन सम्बन्धि गतिविधियां चलाने की अनुमति इस कार्यालय द्वारा निम्न शर्तो के आधार पर दी जाती है:—

1. मौका पर भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 की पालना सुनिश्चित करनी होगी तथा अरावली पौधारोपण क्षेत्र/वन भूमि को गैर वन वानिकी उदेश्य हेतु प्रयोग करने से पूर्व नियमानुसार वन विभाग से अनुमति लेनी होगी।
2. खनन ऐरिया सैक्शन—4 (सामान्य) के तहत आता है। इसलिये मौका पर पंजाब भू—संरक्षण अधिनियम 1900 तथा भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927 की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
3. मौका पर खनन क्षेत्र के साथ लगते हुये अरावली पौधारोपण को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी।
4. यूजर एजेंसी द्वारा मौका पर खनन क्षेत्र में लगवाये गये पिल्लरों पर जी0पी0एस0 कोर्डिनेट अंकित करवाये जायेंगे।
5. भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की सभी शर्तो की पालना की जाएगी।

इसके अतिक्ति मौका पर उपरोक्त शर्तों के अलावा पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की कोई भी गतिविधि/उल्लंघना पाई गई तो वन विभाग द्वारा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता।

वन मण्डल अधिकारी,
भिवानी ।

Gen.Letter459

FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA

O/o Divisional Forest Officer, Bhiwani

Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

क्रमांक / 2369

दिनांक / 1.12.14

सेवा मे:- हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं,
आधारभूत संरचना विकास,
निगम लि0 रोहतक।

विषय: **NOC from Forest Departmet w.r.t. proposed Minor Mineral project over an area of 258.30 hectares (Khasra No. 274 min 275 min) in Village Khanak Tehsil Tosham, District Bhiwani in favour of HSIIDC.**

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक HSIIDC:Mines:240 Dt. 27.11.2014 के सदर्भ में।

--000--

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि गांव खानक स्थित गैर मुमकीन पहाड के खसर नं0 274 min & 275 min में खनन हेतु प्रस्तावित 258.30 है0 क्षेत्र अरावली पौधरोपण क्षेत्र में नहीं आता तथा वर्णित क्षेत्र किसी प्रकार की वन भूमि (Forest Land) का Part भी नहीं है। अतः उक्त क्षेत्र में खनन गविविधि चलाने की अनुमति निम्न शर्तो के आधार पर दी जाती है:-

1. यूजर एजेंसी यदि खनन क्षेत्र में आने-जाने के लिये रेवेन्यु रास्ते का प्रयोग करेगी तो वन विभाग को कोई आपत्ति नही होगी, परंतु रास्ते के तौर पर वन भूमि का उपयोग करेगी तो नियमानुसार वन विभाग से अनुमति लेनी होगी।
2. खनन क्षेत्र सैक्सन-4 (सामान्य) के तहत आता है, इसलिये खनन क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में पंजाब भू-संरक्षण अधिनियम 1900 तथा भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927 की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
3. यूजर एजेंसीयूजर एजेंसी द्वारा मौका पर खनन क्षेत्र में लगवाये गये पिल्लरों पर जी0पी0एस0 कोर्डिनेट अंकित करवाये जायेंगे।
4. विषयक प्रस्ताव में इस क्षेत्र के वन अधिनियम कानून लागू माने जायेंगे।
5. भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की सभी शर्तो की पालना की जाएगी।

इसके अतिवित मौका पर उपरोक्त शर्तो के अलावा पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की कोई भी गतिविधि/उल्लंघना पाई गई तो वन विभाग द्वारा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता।

वन मण्डल अधिकारी,
भिवानी ।

पृ0क्रमांक : दिनाक:

इसकी एक प्रति वन राजिक अधिकारी तोशाम को मौका पर वन अधिनियमो की दृढता से पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी
भिवानी ।

Gen.Letter513